

29/9/16 वकील प्रार्थी श्वरियत। सा० पत्र 03 R13 पर कूटे पुत्रा गया
सा० पत्र एवं करस में ऐसा कोई ठोस तथ्य स्पष्ट नहीं
किये हैं कि वाद निर्णय पर व्योकर पुनरावलोकन किया
जावे इसी स्थिति में सा० पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया
जाता। सा० पत्र प्रार्थी श्वरियत किया जाता है - यदि वाद
निर्णय दिनांक 11-05-2011 पर इस सा० पत्र के निर्णय तक
कार्यवाही स्थगित श्वी गई थी ऊपर वादी-चार्जों के बाद
निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए स्वतंत्र हैं। जिसल फौजल
शुमार लेकर नम्बर के फौज हैं। बाद 01/प्रिल 1/कमील 4 फतर
दखिल है।

उपखान अधिकारी
मसूदा (जयमेर)

